वीडियो कान्फ्रेंसिंग

संख्या:8/2020/281/31-2020-42/2012टी0सी0-1

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।**
2. **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
3. **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः दिनांकः 29 फरवरी, 2020**

विषयः-मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपरान्ह 03:00 बजे से वीडियो कान्फ्रेंसिंग का आयोजन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः-1673/31-2019-42/ 2012टी0सी0-1, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपरान्ह 03:00 बजे से लोक भवन स्थित कक्ष से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से एजेण्डा बिन्दुओं पर समीक्षा हेतु आदेश निर्गत किए गए हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में माह के प्रथम एवं तृतीय सोमवार को अपरान्ह 03:00 बजे से आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कराने हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट upkkv.in पर लागिन कर मुख्य सचिव VC लिंक पर योजनाएं सम्मिलित कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा।

(2) सभी विभागों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड शासनादेश संख्याः 08/2017/1806/31-2017-65/2014 टी0 सी दिनांकः 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

(3) विभाग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा हेतु अनुरोध किए गए महत्वपूर्ण योजनाओं पर अनुमोदन मुख्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजनाओं का अनुमोदन या अस्वीकृत होने की सूचना पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

(4) विभाग द्वारा समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण योजनाओं की उपलब्ध अद्यतन प्रगति वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पूर्व पड़ने वाले गुरूवार की सायं 05:00 बजे तक अवश्य अपलोड कराई जाएगी। यह सूचना समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को वेबसाइट upkkv.in पर अवलोकनार्थ उपलब्ध होगी। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में समीक्षा इसी सूचना के आधार पर की जाएगी। गुरुवार सायं 5:00 बजे से सोमवार अपराह्न 3:00 बजे तक की प्रगति को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।

(5) विभाग द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं एवं प्रत्येक योजना के अधिकतम 03 पैरामीटर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर समीक्षा करायी जाएगी।

(6) विभाग द्वारा गत वीडियों कान्फ्रेंसिंग के सापेक्ष वर्तमान वीडियो कान्फ्रेंसिंग में की गई प्रगति पर समीक्षा करायी जाएगी तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

(7) विभाग द्वारा बेवसाइट पर अपलोड करायी गई अद्यतन प्रगति के आधार पर जनपदों की संयुक्त रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा।

(8) वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्वयं उपस्थित रहें, यदि अपरिहार्य परिस्थिति में स्वयं उपस्थित न हो पाएं तो अन्य अधिकारी नामित करने हेतु मुख्य सचिव से पूर्वानुमति प्राप्त की जाए।

कृपया उपर्युक्त आदेशों के क्रम में अपने विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कराने हेतु तद्नुसार कार्यवाही कराने एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग में यथासमय स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-8/2020/281/31-2020-42/2012टीसी-1 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. प्रधान निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।